प्रेस नोट
दिनांक 01.02.2026

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा थाना वंजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–32/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त–01. अरून कुमार उर्फ अरूण कुमार पुत्र शिवशंकर नि0 ग्राम डोमनीपुर थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर को लाल ब्रदर्श पेट्रोल पम्प अकबरपुर के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
थाना उमरीबेमगंज पुलिस द्वारा थाना वजीरगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–32/25 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट की विवेचना संपादित की जा रही थी। जिसमें थाना उमरीबेमगंज पुलिस द्वारा वांछित गैंगेस्टर अरून कुमार उर्फ अरूण कुमार पुत्र शिवशंकर नि0 ग्राम डोमनीपुर थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर को लाल ब्रदर्श पेट्रोल पम्प अकबरपुर के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का एक आपराधिक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु गोवंशीय पशुओं की हत्या व उनकी तस्करी की घटनाओं को अंजाम दिया करते है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. अरून कुमार उर्फ अरूण कुमार पुत्र शिवशंकर नि0 ग्राम डोमनीपुर थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–32/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. प्र0नि0 गोविन्द कुमार थाना उमरीबेगमगंज।
02. उ0नि0 अंगद सिंह।
03. का0 पारस यादव।
04. का0 पियूष यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 01.02.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, कब्जे से चोरी का माल व घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–105/26, धारा 303(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों– 01. आलोक पाण्डेय पुत्र रामदत्त पाण्डेय, 02. प्रदीप तिवारी पुत्र जमुना प्रसाद तिवारी, 03. छोटकनू पुत्र सन्ने, निवासी इमामबाड़ा, को मिश्रौलिया ओवरब्रिज के पास, डीजल डिपो के पीछे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद चोरी का आरआरयू, 01 अदद चोरी का बीबीयू व चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी पंकज कुमार सिंह, सुरक्षा अधिकारी, निशा सेवा सुरक्षा कम्पनी/इण्डस टावर गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 28.01.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत स्टेशन रोड, डॉ० एस०एन० ओझा गली, छेदीपुरवा स्थित एयरटेल टावर संख्या 2042642 से अज्ञात चोरो द्वारा 01 अदद आरआरयू व 01 अदद बीबीयू चोरी कर लिया गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 01.02.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी करने के 03 आरोपी अभियुक्तों 01. आलोक पाण्डेय पुत्र रामदत्त पाण्डेय, 02. प्रदीप तिवारी पुत्र जमुना प्रसाद तिवारी, 03. छोटकनू पुत्र सन्ने, निवासी इमामबाड़ा, को मिश्रौलिया ओवरब्रिज के पास, डीजल डिपो के पीछे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद चोरी का आरआरयू, 01 अदद चोरी का बीबीयू व चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. आलोक पाण्डेय पुत्र रामदत्त पाण्डेय, निवासी निरपुर ख्याला, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
02. प्रदीप तिवारी पुत्र जमुना प्रसाद तिवारी, निवासी फैजाबाद रोड कमल टंकी, ग्राम ढलहनपुरवा, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
03. छोटकनू पुत्र सन्ने, निवासी इमामबाड़ा, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–105/2026, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद चोरी का आरआरयू
02. 01 अदद चोरी का बीबीयू
03. 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार, सफेद रंग

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अंकित उपाध्याय।
02. उ0नि0 सोनू कुमार।
03. उ0नि0 विभव तिवारी।
04. का0 अमित तोमर।
05. का0 पियूष गोस्वामी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 01.02.2026

50,000/– का इनामिया गैंगस्टर गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एस0टी0एफ0 लखनऊ की टीम द्वारा थाना धानेपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0–22/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 50,000/– रू0 के इनामिया शातिर अभियुक्त आकाश यादव पुत्र इन्दल यादव नि0 डेबरीकला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को कटरा रेलवे स्टेशन के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्त आकाश यादव का एक सक्रिय गिरोह है, जो लूट आदि की घटनाएं करता है। इसके गिरोह में सुमित तिवारी, संदीप मौर्या, आदित्य कश्यप, हरतू कश्यप आदि मुख्य रूप से सक्रिय है। यह अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर दिनांक 23–04–24 को रात्रि 09.30 बजे थाना कोतवाली देहात अंतर्गत आंख में मिर्ची पाउडर डाल कर एक बाइक सवार से लूट की घटना किया था। दिनांक 29–04–24 को रात्रि 07.30 बजे थाना नवाबगंज, गोण्डा अंतर्गत एक बाइक सवार 02 व्यक्तियों की आंख में मिर्ची पाउडर डाल कर 40,000/– रूपये की लूट किया था। दिनांक 21.05.24 को रात्रि 23.30 बजे थाना खरगूपुर, गोण्डा अंतर्गत एक बाइक सवार 02 व्यक्तियों को रोक कर 9000/– रूपये और मोबाइल फोन की लूट की घटना को अंजाम दिया था। दिनांक – 02.06.24 को रात्रि 23.00 बजे थाना मोतीगंज, गोण्डा अंतर्गत बैटरी रिक्शा चालक को चाकू मार कर लूट किया था। दिनांक 02.06.24 को रात्रि 08.30 बजे थाना धानेपुर, गोण्डा अंतर्गत एक बाइक सवार 02 व्यक्तियों से लूट किया था। वर्ष 2025 में इसके विरूद्ध थाना धानेपुर, गोण्डा में गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था तब से यह फरार चल रहा था, पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा द्वारा अभियुक्त आकाश यादव की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु 50,000/–का ईनाम घोषित किया गया था। आज दिनांक 01.02.2026 को लखनऊ एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा अभियुक्त आकाश यादव पुत्र इन्दल यादव नि0 डेबरीकला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को कटरा रेलवे स्टेशन के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. आकाश यादव पुत्र इन्दल यादव नि0 डेबरीकला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–22/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–165/24, धारा 392,411,413,120 बी0 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–167/24, धारा 394,411 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–135/24, धारा 341,394,411,504,506,120 बी भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–22/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0–153/24, धारा 379 भादिव थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0–142/24, धारा 394 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. निरीक्षक श्री विनय सिंह एस0टी0एफ0 लखनऊ।
02. उ0नि0 मनोज सिंह एस0टी0एफ0 लखनऊ।
03. मु0आ0 रमेश चन्द्र उपाध्याय एस0टी0एफ0 लखनऊ।
04. मु0आ0 अमित कुमार एस0टी0एफ0 लखनऊ।

मीडिया सेल, गोण्डा।